(c) whether it is a fact that the Working Group of the Planning Commission in respect of sugar industry have recommended that during the 7th Five Year Plan period the sugar mills should be made responsible for developing their own sugarcane areas under the guidance and support of State and Central Government's agencies; and

(d) if so, how far the above recommendations have been implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) There are 392 installed sugar mills in the country as on 31-7-1989.

(b) 174 sugar factories have been given financial assistance from Sugar Development Fund created by the Central Government for developing sugarcane in their respective areas.

(c) and (d) Yes, Sir. The activities of sugarcane development undertaken by the above sugar factories are being monitored by the State and the Central Government agencies.

उत्तर प्रदेश के बढ़ापुर गांव में पीड़ितों को दी गई सहायता

3196. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1989 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बढ़ापुर गांव में होली के दिन हुई दुर्घटना में जिसमें पांच हरिजनों को जीवित जला दिया गया था, शिकार हुए अनुसूचित जाति के उन विस्थापित परिवारों को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Central Government Offices in Assam

3197. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state the location of Central Government offices in Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

3198. [*Transferred to the 10th August*, 1989]

आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

3199. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों के दौरान किन-किन तारीखों को आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि की गई तथा इस प्रकार से की गई वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(ख) देश के सरकारी कारखानों में उत्पादित होने वाले अखबारी कागज के मूल्यों में इस अवधि के दौरान किन-किन तारीखों को वृद्धि की गई तथा प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(ग) अखबारी कागज की मूल्य वृद्धि में केन्द्रीय और राज्य कर का प्रतिशत

कितना-कितना है तथा एस.टी.सी. द्वारा किये गये व्यय और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया तथा उन देशों के नाम क्या-क्या हैं जहां से इसका आयात किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) एक अनुबंध संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 180]

(ग) आयातित अखबारी कागज की कीमत लागत बीमा भाड़ा और बैंक प्रभारों, समाशोधन और उठाने-धरने के प्रभारों, परिवहन प्रभारों, सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग उाकर, गोदाम किराया और गोदाम ब्याज के आधार पर तय की जाती है। राज्य व्यापार निगम द्वारा लागत माल भाड़ा कीमत के एक प्रतिशत के बराबर सेवा मार्जिन भी लिया जाता है। देशी अखबारी कागज की कीमत पर अलग-अलग राज्यों के कर अलग-अलग हो सकते हैं। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के आबंटन के अंतर्गत देशी मिलों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अखबारी कागज पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में आयातित अखबारी कागज की मात्रा और उसकी सप्लाई के स्रोत निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन	देश जहां से आयात किया गया
1986-87	1,89,064	सोवियत संघ, रुमानिया, जर्मन जनवादी गणराज्य,
1987-88	2,43,968	चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, स्वीडन, कनाडा,
1988-89	2,24,233	न्यूजीलैण्ड, तुर्की, तंजानिया, बंगलादेश और इटली

Issue price of rice

3200. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) what are the issue prices of common, fine and superfine varieties of rice to be supplied to the States;

(b) what is the amount allowed by Government as transport and other charges to be included in the price of the above varieties; and

(c) what is the sale price of these varieties in different States such as Andhra Pradesh, Bihar, Rajasthan, Maharashtra and Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM) : (a) to (c) The Central issue prices for PDS for common, fine and superfine varieties of rice are Rs. 244/-, Rs. 304/- and Rs. 325/- respectively. The Central issue prices apply uniformly throughout the country. The retail prices for the consumers are fixed by the State Governments themselves taking into account the Central issue prices and their own distribution costs.

Outlay for construction of godowns

3201. SHRI K. V. THANGKABALU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the financial outlay earmarked for construction of godowns for the year 1988-89;